सुखदेव सिंह और अन्य बनाम मोहन सिंह और अन्य
(न्यामूर्ति महिंदर सिंह सुल्लर),

न्यामूर्ति महिंदर सिंह सुल्लर के समक्ष
सुखदेव सिंह और अन्य-अपीलार्थी
बनाम
मोहन सिंह और अन्य,-उत्तरदाता
आर. एस. ए. सं. 2008 का 4314
2अगस्त, 2011

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- आदेश-1 नियम 10,-संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम-धारा 41-प्रतिवादी संख्या 1 ने एक झूठी और अवैध वसीयत के आधार पर अपने नाम भूमि परिवर्तित कर ली-प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि को प्रतिवादी संख्या 2-3 को बेच दी- वादी पने उतरवादी के खिलाफ घोषणा/कब्जा/स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया-वाद भूमि को मुकदमा विचाराधीन के दौरान आगे बेचा गया-बाद का विक्रेता दीवानी मुकदमे में मुकदमाकार नहीं था-वादी का मुकदमा घोषित किया गया-उतरवादियों ने अपील दायर की-आदेश 1 नियम 10 के तहत दायर किए गए बाद के विक्रेता को अपील पर बहस करने के लिए सीमित उद्देश्य के लिए कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी गई-उसे चुनौती दी गयी - यह माना गया कि बाद के विक्रेताओं को अभियोक्ता के दावे को चुनौती देने या अतिरिक्त साक्ष्य का नेतृत्व करने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है।

यह माना गया कि यह मामले का अंत नहीं है। यह स्वीकार्य है कि, वर्तमान अपीलकर्ताओं-पास्चातव (द्वितीय) विक्रेताओं ने मुकदमा विचारधीनता के दोरान वाद भूमि को उतरवादि संख्या 1 के विक्रेता से खृदी थी। इसका मतलब है कि वे अपने संबंधित विक्रेताओं के जूते में कदम रख चुके हैं।उस स्थिति में, उन्हें एक अलग लिखित बयान दायर करने, अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने और अभियोक्ता के दावे को चुनौती देने का कोई कानूनी स्वतंत्र अधिकार नहीं है।

(पैरा 23)

आगे कहा, कि मेरे विचार से, यदि अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुति-बाद के उतरवादियों, यद्दी यह स्वीकार कर लिया जाता है तो यह पूरे मामले को फिर से खोलने के बराबर होगा।कल, वे आगे तीसरे विक्रेताओं को भूमि हस्तांतरित कर सकते हैं और फिर, वे आगे आगे। तो फिर वे अतिरिक्त साक्ष्य देने

का फिर से दावा करेगा।इस तरह, यह कानून से बचने वाले ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित आदेश के बराबर होगा, जिसने बाद में मुकदमा विचाराधीनता के दौरान वाद भूमि खरीदी, ताकि वादियों के अधिकारों को अवैध रूप से पराजित किया जा सके।इतना ही नहीं, यह आगे कार्यवाही की विविधता को जन्म देगा और किसी भी मुकदमेबाजी का कोई अंत नहीं होगा।

(पैरा 24)

आगे कहा गया, एक बार, यह साबित हो जाता है कि अपीलकर्ता-पास्चातव (द्वितीय) विक्रेताओं से मुकदमा विचाराधीनता के दौरान वाद भूमि खरीदी है, इस दौरान मुकदमे के लंबित रहने और उनके लेन-देन को लिस-पेंडेंस के नियम से प्रभावित होगा

फिर उनके वास्तविक खरीदारों और सुरक्षा का सवाल टी.पी. अधिनियम की धारा 41 बिल्कुल भी नहीं उठती, जैसा कि उनकी ओर से आग्रह किया गया था। इसलिए उनके वकील के विपरीत तर्क "सख्त अर्थो " वर्तमान परिस्थितियों में खारिज होने योग्य है ऑर इन्हे खरीज किया जाता है।

(पैरा 26)

अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता गुरचरण सिंह गांधी।

S. S.Tiwana, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए अधिवक्ता

न्यामूर्ति महिंदर सिंह सुल्लर (मोखिक)

(1) जैसा कि नीचे वाले न्यायालयों ने पक्षकारों द्वारा अभिलेख पर लाए गए अभिवचनों और साक्ष्यों को विधिवत दोहराया और विस्तार से चर्चा की, इसलिए इस संदर्भ में तत्काल नियमित दूसरी अपील में इन्हे फिर से दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। हालाँकि, वर्तमान अपील पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक और अभिलेख से निकलने वाले तथ्यों का सारांश यह है कि मेहंगा सिंह प्रत्यर्थी के बेटे मोहन सिंह (संक्षिप्तता के लिए "वादी") ने जीत सिंह की पत्नी रणबीर कौर, करनैल सिंह, रंजन सिंह, पूरन राम प्रत्यर्थी के बेटों मोहिंदर राम के खिलाफ 6 से 9-प्रतिवादी नंबर 1 से 3 और 3-ए (संक्षेप में "प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादी") और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ घोषणा और कब्जे के आदेश के लिए मुकदमा दायर किया, इस प्रभाव से कि वह (वादी) और प्रतिवादी नंबर 4 से 7 विवादग्रस्त भूमि के मालिक कानूनन मालिक और समान शेयरों में कब्जे में हैं विवाद में पड़ी भूमि, मेहर सिंह

पुत्र हरि सिंह (मृत) के कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते और कथित रूप से लागू वसीयत दिनांक 15.06.1992 को निष्पादित किया गया। रणबीर कौर (प्रतिवादी नंबर 1), म्यूटेशन नंबर 652 के पक्ष में उनके द्वारा इसके अनुसरण में दर्ज की गई और दिनांक 17.12.1992 के बिक्री विलेख और 7.12.1993 को उनके द्वारा बचाव के पक्ष में निष्पादित किया गया

(2) अभियोक्ता द्वारा स्थापित मामला, जहां तक प्रासंगिक है, संक्षेप में यह था कि सुल्तान सिंह के बेटे हरि सिंह का बेटा मेहर सिंह विवादित भूमि का मालिक था और उसके कब्जे में था और अभियोक्ता मेहर सिंह के असली भाई मेहंगा सिंह का बेटा है, जिसकी मृत्यु 17.7.1992 को हुई थी।कहा जाता है कि उनकी पत्नी प्रकाश

कौर की मृत्यु उनकी मृत्यु से 5/6 साल पहले हुई थी।पार्टियों के बीच अंतर-संबंध वंशावली तालिका में निम्नानुसार दिखाए गए हैं:-

सुल्तान सिंह

|

|

हरि सिंह

बाबू सिंह	बंता सिंह	मेहंगा सिंह	मेहर सिंह
(मृत्यु निसंतान)	(मृत्यु निसंतान)	|	(मृत्यु निसंतान)

मोहन सिंह	सवरन कौर	ज्ञान कौर	बक्स कौर	सुरेंद्र कौर
(वादी)	(प्रतिवादी सं. 4)	(प्रतिवादी सं. 5)	(प्रतिवादी सं. 6)	(प्रतिवादी सं. 7)

(3) इस तरह, मेहर सिंह की मृत्यु के बाद, वादी और प्रतिवादी को प्राकृतिक उत्तराधिकार में उनकी संपत्ति विरासत में मिली थी।वादी ने दावा किया कि प्रतिवादी नंबर 1 ने किसी भी समय मृतक मेहर सिंह से शादी नहीं की थी, क्योंकि वह अपनी मृत्यु के समय लगभग 70 वर्ष का था।उसने अवैध रूप से अपने पक्ष में विवादित उत्परिवर्तन No.652 को दर्ज व प्रमाणित करवाया जो खुद झूठी और अवैध वसीयत दिनांक 15.6.1992 के आधार पर मृतक मेहर सिंह की विधवा बताती है।इस उत्परिवर्तन का लाभ उठाते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को दिनांकित 17.12.1992 पंजीकृत बिक्री विलेख के आधार पर अवैध रूप से भूमि बेच दी थी और इसके अनुसरण में उन्होंने आगे उत्परिवर्तन संख्या 660 दर्ज किया।इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 1 पर दावा किया गया कि उसने बिना किसी

कानूनी अधिकार के, प्रतिवादी के मुकदमा में पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 7.12.1993 के माध्यम से भूमि को अवैध रूप से बेच दिया था।

4. विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते हुए और घटनाओं के क्रम का वर्णन करते हुए, वादी के अनुसार कि वह प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के साथ मेहर सिंह की मृत्यु के बाद में विवाद में संपत्ति के प्राकृतिक उत्तराधिकार होने का हकदार है।प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कथित वसीयत, उसके अनुसरण में इंगित बिक्री विलेख और परिणामी उत्परिवर्तन को अवैध, अमान्य और उनके (वादी और प्रतिवादी संख्या 4 से 7) अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं कहा जाता है।उन्होंने प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों से अपने दावे को स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन व्यर्थ, जिसके कारण अभिवादी को वर्तमान मुकदमा दायर करने की आवश्यकता पड़ी।उपरोक्त आरोपों के आधार पर, वादी ने पहले वर्णित तरीके से, प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों के खिलाफ घोषणा/कब्जा/स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश के लिए मुकदमा दायर किया।

(5) चूंकि कोई भी प्रतिवादी संख्या 3-A और 4 से 7 की ओर से मुकदमे का विरोध करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही का आदेश दिया गया।हालाँकि, प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादी के दावे का खंडन किया और अपने अलग-अलग लिखित बयान दायर किए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वादी की कुछ प्रारंभिक आपत्तियों, मुकदमे की स्थिरता, वाद हेतु और अधिस्थिति का अनुरोध किया गया।प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों ने दलील दी कि प्रतिवादी संख्या 1, मृतक मेहर सिंह की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी होने के नाते, वसीयत के आधार पर मालिक बन गई और विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा कर लिया और उसके वसीयत के आदर पर उत्परिवर्तन को भी मंजूरी दी गई। प्रतिवादी संख्या 1, पूर्ण स्वामी और कब्जे में होने के नाते, मुकदमा भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को सही ढंग से इंगित बिक्री विलेखों के माध्यम से बेच दिया है और

वादीऔर प्रतिवादी संख्या 4 से 7 को इसमें कोई अधिकार और स्वामित्व नहीं मिला है।यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादीयों ने मुकदमा में निहित अन्य सभी आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया है और मुकदमे को खारिज करने के लिए प्रार्थना की है।

(6) लिखित बयानों के आरोपों का विरोध करते हुए और वाद में निहित अभिवचनों को दोहराते हुए, वादी ने प्रतिकृति दायर की।पक्षकारों की दलीलों के मद्देनजर, निचली अदालत ने मामले के उचित निर्णय के लिए निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए:-

1. क्या वादी और प्रोफार्मा प्रतिवादी मृतक मेहर सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते मुक़दमे की ज़मीन के मालिक हैं? ओपीपी

2. क्या वसीयत नामा दिनाक 15.6.1992 प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में और उसके पक्ष में परिणामी उत्परिवर्तन No.652 कानूनी और वैध हैं?ओ. पी. डी. (12.2.2000 को रीफ्रेम किया गया और बल नहीं दिया)

3. यदि मुद्दा संख्या 2 सकारात्मक रूप से साबित नहीं होता है, तो क्या प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के दिनाक 17.12.1997 को निष्पादित विक्रय-विलेख और उत्परिवर्तन संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3-A के पक्ष में दिनाक 07.12.1997 को निष्पादित विक्रय-विलेख और प्रतिवादी भी अवैध, अमान्य और रद किए जाने योग्य हैं?ओपीपी

4. क्या प्रतिवादी संख्या 1 से 3 मुकदमे की भूमि के अवैध और गैर-अधिकृत कब्जे में हैं?ओपीपी

5. यदि उपरोक्त मुद्दा संख्या 1 से 4 सकारात्मक साबित होते हैं, तो क्या वादी और प्रतिवादी संख्या 4 से 7 मुकदमा भूमि के कब्जे के लिए हुकमनामा के हकदार हैं?ओपीपी

6. क्या मुकदमा वर्तमान रूप में बनाए रखने योग्य नहीं है?ओपीडी

7. क्या वादी के पास वर्तमान मुकदमा दायर करने के लिए कोई कारण नहीं नहीं है?ओपीडी

8. क्या वादी के पास वर्तमान मुकदमा दायर करने का कोई क़ानूनी क्षमता नहीं है?ओपीडी

9. क्या मुकदमा और पार्टियों के गलत संयोजन आवश्यक पार्टियों के संयोजन न करने लिए बुरा है?ओपीडी

10. क्या प्रतिवादी संख्या 2 और 3 वास्तविक खरीदार हैं और 17 मरला भूमि के कब्जे में हैं?यदि ऐसा है, तो इसका प्रभाव क्या है?ओपीडी

11. राहत।

(7) इसके बाद, अपने-अपने पक्ष को साबित करने के लिए के पक्षकारों ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य को रिकॉर्ड में प्रस्तुत किया।

(8) विचारण न्यायालय, अभिलेख पर सम्पूर्ण मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर सोच विचार करने के बाद, वादी के मुकदमा का निर्णय वादी के हक में 01.03.2000 की डिक्री व फैसला के मुताबिक कर दिया, जिसका कार्यात्मक भाग (पैरा 28) निम्नानुसार है:-

> "विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेते समय पहले दर्ज किए गए कारणों के आधार पर, विशेष रूप से मुद्दा संख्या 1,7 और 8, वादी द्वारा दायर मुकदमा सफल होता है और जिसको खर्च सहित इस प्रभाव से डिक्री किया जाता है।

प्रोफोर्मा प्रतिवादी संख्या 4 से 7 तक के साथ वादी मृतक मेहर सिंह के कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते वाद भूमि के समान शेयरों के मालिक हैं और प्रतिवादी संख्या 2,3 और 3-ए के हक में विवादित वसीयत में दिनांक 15.06.1992 और उत्परिवर्तन संख्या 652 और विवादित विक्रय विलेख दिनांक 17.12.1992 उत्परिवर्तन संख्या 660 और विवादित विक्रय विलेख दिनांक 07.12.1993 को अवैध और अमान्य घोषित किया जाता है और रद कर दिया जाता है। तथापि , वाद भूमि के कब्जे के लिए डिक्री वादी और प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के हक में पारित की गयी है और वादी संख्या 4 से 7 और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 और 3-ए को किसी भी तरह से वाद भूमि को हस्तांतरित करने से स्थायी रूप से रोक दिया जाता है।तदनुसार डिक्री-शीट तैयार की जाए और उचित अनुपालन के बाद फाइल को अभिलेख-कक्ष में भेजा जाए।"

(9) निचली अदालत के फैसले से असंतुष्ट रणबीर कौर (प्रतिवादी संख्या 1) और अन्य प्रतिवादियों ने पहली अपीलीय अदालत में अपील दायर की।यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि सुखदेव सिंह पुत्र बचन सिंह, मोहिंदर राम और जोगिंदर राम पुत्रान मुंद्री राम अपीलार्थी-पास्चातव (द्वितीय) विक्रेताओं निचली अदालत के समक्ष मुकदमे में पक्षकार नहीं थे।मुकदमे विचाराधीनता रहने के दौरान, दावा किया गया कि उन्होंने बाद में रणबीर कौर (प्रतिवादी संख्या 1) के कथित विक्रेताओं से मुकदमे की जमीन से कुछ जमीन खरीदी।हालाँकि उनकी उपस्थिति बिल्कुल भी आवश्यक नहीं थी, क्योंकि उन्हें कथित रूप से रणबीर कौर के कथित प्रतिशोधियों के स्थान पर रखा गया था, लेकिन फिर भी, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आदेश 1 नियम 10 सी. पी. सी. के तहत उनके आवेदन के मद्देनजर, उन्हें दिनांकित 16.12.2003 आदेश द्वारा से, केवल एक सीमित उद्देश्य के लिए, अपील पर बहस करने के लिए कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी।हालाँकि, प्रथम अपील न्यायालय ने निर्णय और डिक्री दिनांक 22.12.2003 के माध्यम से मुख्य अपील को खारिज कर दिया।

(10) नीचे दिए गए न्यायालयों के फैसलों और डिक्री से व्यथित हो, हरि राम और अन्य लोगों और मुकदमा संपत्ति के पास्चातव (द्वितीय) विक्रेताओं ने 2004 के नियमित द्वितीय अपील को दायर किया, जिसे स्वीकार किया गया और इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ (न्यामूर्ति प्रमोद कोहली) (आदेश दिनांक 12.03.2008) द्वारा मामले को पहले अपीलीय न्यायालय में वापस भेज दिया गया की-

"अपील की अंतिम सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं को पक्षकार के रूप में शामिल किया गया और अपील को दलीलों के लिए पोस्ट किया गया लेकिन बिना

कोई अवसर दिए, अपील का फैसला किया गया है।निचली अपील न्यायालय के लंबे फैसले से ऐसा प्रतीत होता है कि फैसला पहले ही लिया जा चुका था और बहस करने के पर्याप्त और उचित अवसर के बारे में क्या कहना है, इसका कोई अवसर दिए बिना इसकी केवल घोषणा 22.12.2003 को की गई थी।निचली अपील न्यायालय के पास अपील के दौरान अपीलार्थियों को पक्षकार बनाने के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र था, लेकिन एक बार निचली अपील न्यायालय ने न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग कर लिया और पक्षकार/अपीलार्थी को शामिल कर लिया, तो निचली अपील न्यायालय के लिए यह अनिवार्य था कि उसने अपील पर बहस करने के लिए पर्याप्त और उचित अवसर प्रदान किया हो। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है, आदेश कानूनन में टिकाऊ नहीं है।

उस विवाद के गुण-दोष में गए बिना, जिसके लिए श्री मान संधू ने लंबी दलीलों को संबोधित किया है, मैं फैसला दिनांकित 22.12.2003 को दरकिनार करने के लिए विवश हूं, उपरोक्त आधारों पर, विवादित फैसला और डिक्री को रद कर दिया जाता है और अपीलकर्ता सहित पक्षों की सुनवाई के बाद नए

फैसले के लिए निचली अपील न्यायालय में अपील भेज दी जाती है। पक्षकार 28.04.2008 को निचली अपील न्यायालय (अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कैथल) के समक्ष उपस्थित हो।"

(11) तदनुसार, सिमित उदेश्य के लिए अपील को इस न्यायालय द्वारा पहले अपीलीय न्यायालय में वापस भेज दिया गया था, की अपीलकर्ताओंपास्चातव (द्वितीय) विक्रेताओं को अपील पर बहस करने का अवसर प्रदान किया जाये मामले की रिमांड और उन्हें अपील पर बहस करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विवादित निर्णय और दिनांकित डिक्री के माध्यम से अपील को फिर से खारिज कर दिया।

(12) यह विवाद का विषय नहीं है कि अन्य प्रतिवादियों ने निचली अदालतों के फैसले को स्वीकार कर लिया, लेकिन केवल अपीलकर्ता-बाद के क्रेता सुखदेव सिंह, पुत्र बचन सिंह , मोहिंदर राम और जोगिंदर राम पुत्रन मुंद्री राम के (जो निचली अदालत के समक्ष मुकदमे में मुकदमाकार नहीं थे), विवादित फैसलों और डिक्री से संतुष्ट नहीं थे और तत्काल नियमित दूसरी अपील को प्राथमिकता दी।इस तरह मैं इस मामले में उलझा हुआ हूं।

(13) शुरू में ही, आक्षेपित निर्णय और डिक्री पर हमला करते हुए, अपीलार्थियों पास्चातव विक्रेताओं के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि चूंकि पहले अपीलीय न्यायालय ने उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया, जिसमें साक्ष्य का नेतृत्व करने का अधिकार शामिल है, इसलिए उनका मामला पूर्वाग्रहपूर्ण था।तर्क यह है कि वे रणबीर कौर (प्रतिवादी संख्या 1) के विक्रेताओं से प्रामाणिक खरीदार हैं और उनके बिक्री विलेख संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की खंड 41 (इसके बाद "टीपी अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के तहत संरक्षित हैं और चूंकि मुकदमे की विचाराधीनता उनके संज्ञान में नहीं थी, इसलिए, लीस पेंडेंस के सिद्धांत को आकर्षित नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रथम अपीलीय न्यायालय

ने अवैध रूप से उनके दावे को अस्वीकार कर दिया।इस प्रकार, उन्होंने अपील को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की।

(14) इसके विपरीत, आक्षेपित निर्णय और डिक्री की सराहना करते हुए, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने कुछ तीव्रता के साथ तर्क दिया कि इस न्यायालय ने अपील को रिमांड किया था , ताकि अपीलकर्ता मामले पर बहस कर सके और उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई थी, इसलिए पहले अपीलीय न्यायालय ने इस संबंध में अतिरिक्त साक्ष्य देने की उनकी याचिका को सही ढंग से नजरअंदाज कर दिया है। उसने आगे कहा कि चूंकि रणबीर कौर (प्रतिवादी संख्या 1) मेहर सिंह (मृतक) की पत्नी साबित नहीं हुई थी, इसलिए उसके द्वारा उसके मुकदमा में वसीयत को निष्पादित करने का सवाल ही नहीं है, इसलिए न तो उसका विवादग्रस्त भूमि के हस्तांतरण का अधिकार था और न ही उसके विक्रेता को कानूनी रूप से कोई अधिकार मिल सकता था और अपीलकर्ता, जो बाद के दूसरे विक्रेता हैं, अपने विक्रेताओं से वाद भूमि का कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं।उन्हें किसी भी तरह से वास्तविक खरीदार नहीं ठहराया जा सकता है और चूंकि उन्होंने मुकदमे विचाराधीनता रहने के दौरान वाद भूमि खरीदी है, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में लिस पेंडेंस का सिद्धांत पूरी तरह से लागू होता है।इस प्रकार, उसने प्रार्थना की कि विवादित निर्णय और डिक्री में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

(15) पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, उनकी बहुमूल्य सहायता के साथ रिकॉर्ड को देखने के बाद द्वारा पूरे मामले पर विचार देने के बाद, मेरे विचार में, इस संबंध में तत्काल अपील में कोई योग्यता नहीं है।

(16) प्रत्यक्षत; विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलकर्ताओं-पश्चातवर्ती (द्वितीय) विक्रेताओं को अपील के प्रतिप्रेषण के बाद अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी, इसलिए, विवादित फैसला और

डिक्री अवैध हैं, न तो मान्य हैं और और न ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय जिला कलेक्टर श्रीकाकुलम और अन्य बनाम बगथी कृष्ण राव और अन्त्र के मामले । (1); इस न्यायालय की देवी बनाम श्रुति चौधरी और अन्य मामलों में (2); ग्राम पंचायत गढ़ी बनाम धरमबीर और अन्य (3), जिसमें यह मत व्यक्त किया गया था कि आदेश 1 नियम 10 सी. पी. सी. के तहत आवश्यक मुकदमों को शामिल करने के लिए आवेदन कार्यवाही के किसी भी चरण में दायर किया जा सकता है और आदेश 1 नियम 10 सी. पी. सी. के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय मुकदमे का अधिकार एक आत्यन्तिक नियम नहीं है, वर्तमान विवाद पर बिल्कुल लागू होते हैं, क्योंकि अपीलकर्ताओं पास्चातव द्वितीय विक्रेताओं को पहले ही पहली अपीलीय न्यायालय द्वारा मुकदमाकारों (अपीलकर्ताओं) के रूप में शामिल किया जा चुका है।

(17) इसी तरह, संभवतःशाम लाल बनाम राजिंदर कुमार मोदी मामले में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के संबंध में कोई भी विवाद नहीं कर सकता है। कि "सुनना" शब्द में साक्ष्य का अभिलेखन शामिल है लेकिन यह अपीलार्थियों पास्चातव (द्वितीय) विक्रेताओं के बचाव में नहीं आएगा-

(18) उपरोक्त परस्थितियों में अब संक्षिप्त और महत्वपूर्ण प्रश्न, हालांकि इस अपील में निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है, यह कि क्या अपीलकर्ताओं- पास्चातव (द्वितीय) विक्रेताओं को वादी के दावे को चुनौती देने का कोई स्वतंत्र अधिकार है या नहीं?

(19) पक्षकारों के लिए विद्वान अधिवक्ता की प्रतिद्वंद्वी दलीलों को ध्यान में रखते हुए, मेरे लिए, उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि उन्हें (अपीलकर्ताओं के बाद (दूसरे) विक्रेताओं को) इस संबंध में कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

(20) जैसा कि अभिलेख से स्पष्ट है कि मेहर सिंह, जिनकी मृत्यु बिना किसी संतान के हुई थी, विवादग्रस्त संपत्ति के मालिक थे।वादी मोहन सिंह और प्रतिवादी संख्या 4 से 7 मेहंगा सिंह की संतानें और मेहर सिंह, पुत्र हरि सिंह के असली भाई हैं।उन्होंने प्राकृतिक उत्तराधिकार में मृतक मेहर सिंह की संपत्ति में अपने हक का दावा किया।इसके विपरीत, रणबीर कौर (प्रतिवादी संख्या 1) ने मेहर सिंह द्वारा कथित रूप

से उसके पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 15.6.1992 और उनके उत्परिवर्तन के आधार पर अपने अधिकार का दावा किया। उत्परिवर्तन का अनुचित लाभ उठाते हुए,

---

(1) 2010(3) आर. सी. आर. (सिविल) 318
(2) 2009 (5) आर. सी. आर. (सिविल) 751
(3) ए. आई. आर. 1998 पी. बी. और एच. 165
(4) एयर 1993 जम्मू और कश्मीर 50

उसने विवादित भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 और 3A दिनांक 17.12.1992 और 7.12.1993 के पंजीकृत बिक्री विलेखों के माध्यम से बेच दिया। निचली अदालतों ने वादी के दावे को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादियों की याचिका को खारिज कर दिया।

(21) यह विवाद का विषय नहीं है कि वादी ने 15.3.1994 को वर्तमान मुकदमा दायर किया है।अपीलार्थी-पास्चातव (द्वितीय) विक्रेताओं प्रतिवादी निचली अदालत के समक्ष मुकदमे में मुकदमाकार नहीं थे।कहा जाता है कि उन्होंने रणबीर कौर (प्रतिवादी संख्या 1) के विक्रेता से वर्तमान मुकदमे की विचाराधीनता के दौरान मुकदमे की जमीन खरीदी थी।रणबीर कौर के विक्रेता मोहिंदर राम ने दिनांकित 7.6.1996 पंजीकृत बिक्री विलेख के आधार पर एक व्यक्ति कमलेश को जमीन बेच दी और कमलेश ने इसे दिनांकित 24.12.1997 पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से अपीलकर्ता सुखदेव सिंह को बेच दिया।इसी तरह, रणबीर कौर (प्रतिवादी संख्या 1) के विक्रेताओं को दिनांक 14.11.1996,22.11.1996 और 15.5.1997 के पंजीकृत बिक्री विलेखों के माध्यम से विवादग्रस्त संपत्ति को हस्तांतरण किया था।

(22) यहां जो बात विवादित नहीं है वह यह है कि आदेश 1 नियम 10 सी. पी. सी. के तहत आवेदन के मद्देनजर, पास्चातव (द्वितीय) विक्रेताओं प्रतिवादियों को प्रथम

अपीलीय न्यायलय द्वारा न्याय के हित में अपीलकर्ता केवल एक सीमित उद्देश्य के लिए अपील पर बहस करने के लिए, दिनांकित 16.12.2003 आदेश द्वारा शामिल किया गया था। जैसा कि ऊपर पुनःप्रस्तुत किया गया है, इस न्यायालय ने भी कहा कि पहले अपीलीय न्यायालय को उन्हें अपील पर बहस करने के लिए पर्याप्त और उचित अवसर प्रदान करना चाहिए था।इस न्यायालय ने दिनांकित 12.03.2008 के आदेश के माध्यम से उन्हें (पास्चातव (द्वितीय) विक्रेताओं) इस ओर से कोई अतिरिक्त साक्ष्य देने की अनुमति नहीं दी और शायद यह सही भी है, क्योंकि उनके विक्रेताओं की बात करें तो उनके (मूल) विक्रेताओं यानी रणबीर कौर (प्रतिवादी संख्या 1) के विक्रेता को भी विवादित संपत्ति को प्रतिद्वंद्वियों को बेचने का कोई अन्य अधिकार नहीं था।

(23) यही बात का अंत नहीं है। सच में, वर्तमान अपीलकर्ताओं के पास्चातव (द्वितीय) विक्रेताओं के बारे में दावा किया गया था कि उन्होंने मुकदमे विचाराधीनता रहने के दौरान रणबीर कौर (प्रतिवादी संख्या 1) आदि के विक्रेताओं से वाद जमीन खरीदी थी।इसका मतलब है कि वे अपने संबंधित विक्रेताओं के जूते में कदम रख चुके हैं।उस स्थिति में, उन्हें एक अलग लिखित बयान दायर करने, अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने और अभियोक्ता के दावे को चुनौती देने का कोई कानूनी स्वतंत्र अधिकार नहीं है। अपीलार्थी-पास्चातव (द्वितीय) विक्रेताओं, **सुखदेव सिंह और अन्य बनाम मोहन सिंह 435 और अन्य (न्यामूर्ति महिंदर सिंह सुलार** मुकदमाकार के रूप में, मुकदमा लड़ने के लिए कानूनी रूप से किसी भी स्वतंत्र अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं।वे केवल अन्य प्रतिवादियों के साथ अपने हित को देख सकते हैं, जिनसे उन्होंने मुकदमे विचाराधीनता रहने के दौरान भूमि खरीदी थी, जैसा कि आदेश 22 नियम 10 सी. पी. सी. और लिस पेडेन्स के सिद्धांत के तहत विचार किया गया है।इस संबंध में धन्ना सिंह बनाम बलजिंदर कौर (5) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले और जसविंदर सिंह बनाम सोहन सिंह और अन्य (6) के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया जा सकता है, जिसमें यह फैसला दिया गया था कि "बाद के खरीदार को कोई सबूत देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने पहले प्रतिवादी के स्थान पर कदम रखा है, जिसने सबूत देने का अधिकार छोड़ दिया है।"

(24) मेरे विचार से, यदि अपीलकर्ताओं पास्चातव (द्वितीय)विक्रेताओं के विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुति को स्वीकार किया जाये की साक्ष्य प्रस्तुत करने के हकदार हैं, को मान लिया जाये तो यह उनके किसी भी अधिस्थिति क्षेत्र के बिना पूरे मामले को फिर से खोलने के बराबर होगा।कल, वे आगे भूमि को तीसरे बाद के विक्रेताओं को हस्तांतरित कर सकते हैं और इसी तरह आगे, वे फिर से अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधिकार का दावा करेंगे।इस तरह, यह आदेश कानून से बचने वाले ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहित के बराबर होगा, जिसने मुकदमा विचाराधीनता के दौरान वाद में भूमि खरीदी, ताकि वादी के अधिकारों को अवैध रूप से पराजित किया जा सके।इतना ही नहीं, यह आगे कार्यवाही की विविधता को जन्म देगा और किसी भी (मुकदमेबाजी) का कोई अंत नहीं होगा।इसलिए, मेरे अनुसार, पहले अपीलीय न्यायालय ने इस संबंध में अपीलकर्ताओं-पास्चातव (द्वितीय) विक्रेताओं की प्रार्थना को सही ढंग से अस्वीकार कर दिया है।इस तरह, अपीलार्थियों-पास्चातव (द्वितीय) विक्रेताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता की विपरीत दलीलें कि पहले अपीलीय न्यायालय को उन्हें अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए था, न केवल योग्यता से रहित है, बल्कि गलत भी है।इस प्रकार, धन्ना सिंह और जसविंदर सिंह के मामलों (उपरोक्त) में तैयार की गई कानूनी यथावश्यक परिवर्तन सहित कथन वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होती है और इस मुकदमा की समस्या का पूरा जवाब है।

(25) इस मामले का एक और पहलू है, जिसे एक अलग कोण से देखा जा सकता है।जैसा कि पहले संकेत दिया गया था, अभिलेख के अवलोकन मात्र से पता चलता है कि वादी ने इस आशय की घोषणा/स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश के लिए मुकदमा दायर किया कि वह प्रतिवादीयों संख्या 4 से 7 के साथ मेहर सिंह (मृतक) से संबंधित मुकदमे की संपत्ति का मालिक बन गया, जो उसका कानूनी उत्तराधिकारी था।मेहर सिंह ने न तो कोई शादी की और न ही रणबीर कौर

---

(5) 1998(1) पीएलआर 706

(6) 2005 (1) पीएलआर 593

(प्रतिवादी संख्या 1) के पक्ष में किसी भी वसीयत को निष्पादित किया।निचली अदालत के साथ-साथ पहली अपीलीय अदालत ने इस संबंध में वादी की याचिका को स्वीकार कर लिया है।वर्तमान मुकदमा वादी द्वारा 15.3.1994 को दायर किया गया था।अपीलकर्ताओं-पास्चातव (द्वितीय) विक्रेताओं ने दावा किया कि उन्होंने अपने संबंधित विक्रेताओं और रणबीर कौर के विक्रेताओं से विवादित भूमि खरीदी है।इसका मतलब है कि न तो रणबीर कौर (प्रतिवादी संख्या 1) का मुक़दमे की भूमि में कोई हस्तांतरण का अधिकार था और न ही उसके विक्रेताओं को कानूनी रूप से कोई अधिकार दिया जा सकता था।इसलिए, अपीलार्थी-पास्चातव (द्वितीय) विक्रेताओं अपने संबंधित विक्रेताओं से कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं।इस प्रकार, उन्हें मुकदमा भूमि में किसी भी तरह से कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं मिला है।सबसे बढ़कर, चूंकि उन्होंने मुकदमे विचाराधीनता रहने के दौरान वाद भूमि खरीदी है, इसलिए उनकी बिक्री पर भी लिस पेंडेंस के सिद्धांत से भी बाधित है ।

(26) एक बार जब, यह साबित हो जाता है कि अपीलकर्ताओं-पास्चातव (द्वितीय) विक्रेताओं ने मुकदमे विचाराधीनता रहने के दौरान वाद भूमि खरीदी है और उनका लेन-देन पर लिस पेंडेंट की डॉक्ट्रिन से भाधित हो, तो उनके वास्तविक खरीदार और उनकी वाद भूमि खरदी है । T.P.Act की धारा 41 के तहत संरक्षण का सवाल बिल्कुल भी नहीं उठता ।इसलिए, उनके वकील के विपरीत तर्क "सख्त अर्थो में" वर्तमान परिस्थितियों में खारिज होने योग्य है और खारिज किए जाते हैं।

(27) इसके अलावा, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 31.7.2008 के विवादित निर्णय द्वारा पक्षों के बीच वास्तविक विवाद का सही फैसला किया है, जो वास्तव में निम्नानुसार है:-

“सबूत के अभाव में एक दस्तावेज़ किसी भी परिस्थिति में उसकी(वादी) मदद नहीं करता है।प्रतिवादी नं. 1 के पक्ष में निष्पादित वसीयत दिनांक 15.6.1992 के प्रमाण

बारे और इसके परिणामस्वरूप उत्परिवर्तन सं 652 सम्बंदित मुद्दे पर प्रतिवादी नं. 1 निचली अदालत में 12.2.2000 पर दर्ज बयान के अनुसार दबाव नहीं डाला। सच में, दिनांकित 15.6.1992 वसीयत एक पंजीकृत विलेख है।प्रतिवादियों की ओर से रिकॉर्ड पर कोई सबूत नहीं है, यह साबित करने के लिए नहीं किया की मेहर सिंह द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित 15.6.1992 की वसीयत वैध है।हालांकि, वसीयत एक पंजीकृत विलेख है, फिर भी प्रतिवादी का हमेशा दायित्व होता है कि वह ठोस सबुत पेश करके और उसके उचित निष्पादन को साबित करे।

वर्तमान मामले में प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी नं. 1 के पक्ष में दिनांकित वसीयत की वैधता को साबित करने के लिए कोई सबूत सामने नहीं आ रहा है।1.चूंकि, प्रतिवादियों द्वारा वसीयत साबित नहीं की गई है।नतीजतन, उत्परिवर्तन सं।652 वसीयत के आधार पर निष्पादित भी अप्रमाणित है।परिणामस्वरूप, इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि प्रतिवादी नं 1 रणबीर कौर के पास स्वामित्व और अधिकार का कोई अधिकार नहीं है।इसलिए वह उससे बेहतर को स्थानांतरित नहीं कर सकती थी जो उसके पक्ष में निहित था और परिणामस्वरूप प्रतिवादी नं 1 अर्थात, सुखदेव सिंह, मोहिंदर राम और जोगिंदर राम के पास भी रणबीर कौर से बेहतर स्वामित्व नहीं हो सकत। ।नतीजतन, निचली अदालत द्वारा इस तथ्य के लिए पारित निर्णय और डिक्री में कोई अवैधता नहीं है कि दिनांकित 17.12.1993 और दिनांकित 7.12.1993 बिक्री विलेख अवैध, अमान्य और शून्य हैं।मुकदमे की जमीन पर रणबीर कौर और करनैल सिंह और निरंजन का कब्जा इस प्रकार निचली अदालत द्वारा गैर-अधिकृत माना गया है और परिणामस्वरूप, निचली निचली अदालत द्वारा यह उचित रूप से माना गया है कि अभियोक्ता सरवन कौर, ज्ञान कौर, बख्श कौर और सुंदर कौर के साथ मुकदमे की जमीन पर कब्जे के आदेश के हकदार हैं। निचली अदालत द्वारा पारित दिनांकित 1.3.2000 निर्णय और डिक्री में कोई अवैधता नहीं है।

अपीलार्थी सं 2, 7 और 8 की यह दलील वे वास्तविक हकदार है पूरी तरह से असमर्थनीय है।उन्हें वास्तविक खरीदार नहीं माना जा सकता है।यह पूरी तरह से उन पर था कि वे स्थानांतरिती के अधिकार का पता लगाने के लिए उचित जांच द्वारा मुकदमेबाजी का इंतजार करते। वे संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 41 के संरक्षण के हकदार नहीं हैं। यह हमारे अपने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Smt.Sarvjeet कौर बनाम रंग लाल 1991 (1) CCC 319 शीर्षक वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि बाद वाला खरीदार, विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमा विचाराधीनता रहने के दौरान विक्रेता के खिलाफ डिक्री और इस याचिका से बाध्य है और वह बिना किसी सूचना के खरीदार का कोई लाभ नहीं है।

कानून के इस तय किए गए प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी नं 2,7 & 8 अंतरिती होने के नाते उसी अधिकार और स्थिति में खड़ा है जैसा कि उनके स्थानांतरिती में था, और कानूनी परिणाम जो पक्ष के खिलाफ प्रवाहित होते हैं, इन अपीलार्थियों को भी बाध्य करते हैं।संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 52 को ध्यान में रखते हुए मुकदमा विचाराधीनता रहने के दौरान बाद वाला खरीदार मुकदमे के विचाराधीन होने के सिद्धांत से बंधा होता है और कोई भी बचाव कि वह बिना किसी सूचना के और मूल्य के लिए वास्तविक खरीदार है, ऐसे स्थानांतरिती के लिए मान्य नहीं है।यह हमारे अपने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जसविंदर सिंह बनाम सोहन सिंह 2004 (4) आर. सी. आर. (सिविल) 785 में निर्धारित एक स्थापित कानून भी है कि बाद के विक्रेता केवल विक्रेता के जूते में प्रवेश करते हैं।उनके पास एक अलग लिखित बयान दायर करने और सबूत पेश करने का कोई क़ानूनी क्षमता नहीं है।"

(28) इस प्रकार से प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा सही परिप्रेक्ष्य में अभिलेख पर लाए गए सभी प्रासंगिक साक्ष्यों पर विचार किया है और उनकी सराहना की है।पक्षकारों के अभिवचनों के संबंध में स्वीकार्य साक्ष **का** अवलोकन करने के बाद, प्रथम अपील न्यायालय ने इस तथ्य के निष्कर्षों को दर्ज किया है कि अपीलकर्ता-पास्चातव (द्वितीय) विक्रेताओं प्रामाणिक खरीदार नहीं हैं, उनका लेन-देन लिस पेंडेंस के सिद्धांत से प्रभावित है और उनके दावे को सही ढंग से नकार

दिया है।साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर तथ्य के ऐसे शुद्ध निष्कर्षों में संभवतःइस न्यायालय द्वारा धारा 100 सी. पी. सी. के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, जब तक कि वे अवैध और विकृत न हों।अपीलार्थियों-पश्चातवर्ती (द्वितीय) प्रतिवादियों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा ऐसी कोई प्रतक्षत्य: अवैधता या कानूनी दुर्बलता की ओर इशारा नहीं किया गया है, ताकि इस संबंध में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पहले से ही लिए गए सुविचारित निर्णय के विपरीत दृष्टिकोण अपनाया जा सके।

(29) इस संबंध में प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्षों को चुनौती देने के लिए अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा कोई अन्य सार्थक तर्क नहीं दिया गया है।साक्ष्य के मूल्यांकन से संबंधित अन्य सभी तर्क, जिन पर अब अपीलकर्ताओं की ओर से आग्रह किया जाना चाहिए, इस प्रासंगिक दिशा में, पहले ही प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिवत विचार किया जा चुका है और उन पर विचार किया जा चुका है।

(30) इसी तरह, पूरा मामला रिकॉर्ड पर साक्ष्य की पुनः प्रशंसा और पुनर्मूल्यांकन के इर्द-गिर्द घूमता है, जो कानूनी रूप से अनुमत नहीं है और दूसरी अपील के दायरे से बाहर है।चूंकि कानून का कोई सवाल ही नहीं है,

कश्मीर सिंह बनाम हरनाम सिंह और अन्य(7) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए, वर्तमान मामले की परिस्थितियों में प्रथम अपीलीय न्यायालय के विवादित फैसले और डिक्री में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

(31) पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किसी विचारणीय कानून या अन्य बिन्दु पर आग्रह या दबाव नहीं दिया।

(32) उपरोक्त कारणों के आलोक में, जैसा की कोई योग्यता नहीं है, इसलिए तत्काल अपील को खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देस्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वियन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा|

हुकम सिंह,

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)

न्यामूर्ति नवाब सिंह के समक्ष

अनीश,-अपीलार्थी

बनाम

नसरुद्दीन कुरैशी और एक अन्य,-2011 का उत्तरदाता

एफ. ए. ओ. संख्या 2509

16जनवरी, 2012

कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923-धारा 3,4 और 19-आयुक्त ने निर्णय पारित होने के 30 दिनों के भीतर मुआवजे का भुगतान करने की अनुमति दी और आदेश दिया कि यदि राशि इस तरह से जमा नहीं की जाती है, तो निर्णय की तारीख से प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा-दावेदार ने ब्याज देने के मुद्दे पर आयुक्त के आदेश को चुनौती दी-अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया।

अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलकर्ता अपनी चोट लगने की तारीख से यानी कि 30 दिसंबर, 2006 से कंपनी द्वारा मुआवजे की राशि जमा किए जाने तक उस पर ब्याज पाने का हकदार होगा।

---

(7) 2008 (2) आर. सी. आर. (सिविल) 688:ए. आई. आर 2008 एस. सी. 1749